न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 11/22 सन् 2022

RCMS NO-2022/ 138

बउनवानीः—1. मुकेश मीना पुत्र रामकरण मीना निवासी सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. श्योजी पुत्र रामकरण मीना निवासी सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर
2. चन्दर पुत्र रामकरण मीना (मृतक)
   2/1. मनीषा पत्नी चन्दर मीना निवासी सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर
   2/2. धीरज पुत्र चन्दर मीना, ना.बा. जरिये संरक्षक माता मनीषा देवी
   2/3. इलायची पुत्री चन्दर मीना ना.बा. जरिये संरक्षक माता मनीषा देवी
   2/4. कृष्णा पुत्र चन्दर मीना ना.बा. जरिये संरक्षक माता मनीषा देवी
3. प्रेम पुत्री रामकरण मीना निवासी सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर
4. पुष्पा पुत्री रामकरण मीना निवासी सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर
5. मडी पुत्री रामकरण मीना निवासी सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर
6. मु0 धापू बेवा रामकरण मीना निवासी सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर
7. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर
8. ग्राम पंचायत सूरवाल जरिये सचिव, ग्राम पंचायत सूरवाल

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 820 निर्णय दिनांक 09.12.2004 वाके ग्राम सूरवाल,तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री कुंजबिहारी शर्मा — वकील अपीलान्ट
2. श्री विनोद कुमार शर्मा नायब तहसीलदार — पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— **दिनांक 28.6.2024**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 820 निर्णय दिनांक 09.12.2004 वाके ग्राम सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम सूरवाल की आराजी ख0न0 335, 337,25[illegible] पुत्र गंगाबिशन के नाम राजस्व रिकार्ड है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु होने पर [illegible]रासत का नामा0 संख्या 820 दिनांक 9.12.2004 को प्रशासन गांवो के [illegible] गया है उक्त नामा0 दर्ज फैसल करते समय मृतक रामकरण के विधिक [illegible] के सही नाम की पुष्टि नही की गयी है एवं मुझ अपीलान्ट का नाम मुकेश के स्थान पर [illegible]जी अंकित कर दिया जो[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:14:50 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

होने के कारण सही किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट का नाम मुकेश होने की पुष्टि के समर्थन में जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड,जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की छायाप्रति प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील में अपीलान्टगण का सही नाम सुखजी के स्थान पर मुकेश करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया ।

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रथम तो अपील मयाद बहार प्रस्तुत की गयी है लगभग 20 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण भी नही बताया गया है तथा आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी कब व कैसे हुई है यह भी नही बताया गया है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तहसीलदार सवाईमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 22.2.2024 से आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 820 दिनांक 9.12.2004 को तस्दीक करते समय अपीलान्ट मुकेश का नाम गलती से सुखजी हो जाने की पुष्टि होती है इसलिए अपीलान्ट का नाम सही करवाया जाना उचित होगा। यदि अपीलान्ट का नाम सही कर दिया जावेगा तो राज्य सरकार का कोई भी हित प्रभावित नही हो रहा है।

विद्वान वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार राजस्व द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन कि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 820 दिनांक 9.12.2004 को तस्दीक करते समय अपीलान्ट मुकेश का नाम सुखजी दर्ज हो गया है तथा अपीलान्ट का सही नाम मुकेश होने की पुष्टि के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज यथा जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड,जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 22.2.2004 के आधार पर आदेश जैर अपील में अपीलान्ट का गलत नाम दर्ज होने आंशिक पुष्टि होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में अपीलान्ट का गलत नाम दर्ज हो जाने के कारण आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने की श्रेणी मे नही आता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवायी हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 820 निर्णय दिनांक 9.12.2004) खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक रामकरण पुत्र गंगाबिशन के सभी विधिक वारिसान अपीलान्ट को अपना सही नाम की पुष्टि से संबंधित साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने एवं मृतक रामकरण के सभी विधिक वारिसान को सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:14:50 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner